



भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय उष्टु अनुसंधान केन्द्र
I.C.A.R.- NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL
पोस्ट बैग—07, जोड़बीड़, बीकानेर 334001(राज.)भारत
Post Bag-07, Jorbeer, Bikaner 334001 (Raj.) India



File No. NRCC/ADM/P/1(15)P/सरसों फसल/2022/ 1162 - 69
निमित्त,

श्री मोहन राम,
पुत्र गुड़ी देवी, वार्ड न. 06,
राईका बास, गाड़वाला,
बीकानेर – 334001

विषय: केन्द्र के फार्म एरिया में सरसों फसल हिस्सा पद्धति पर दिए जाने बाबत।

सन्दर्भ : 1. केन्द्र की अल्पकालीन कोटेशन सूचना 19.10.2022

2. आपके द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 19.10.2022 तथा अनुबन्ध पत्र दिनांक 04.11.2022

महोदय,

उपरोक्त के क्रम में केन्द्र की भूमि पर हिस्सा पद्धति पर सरसों फसल की खेती हेतु अनुबन्ध दिनांक 04.11.2022 की प्रति इस आशय के साथ संलग्न की जा रही हैं कि अनुबन्ध के प्रावधानों व नियम तथा शर्तों के अनुरूप हिस्सा पद्धति पर खेती का कार्य पूर्ण करायें।

सःधन्यवाद

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

1
(अखिल ठुकराल)
प्रशासनिक अधिकारी व
प्रभारी क्रय इकाई

प्रति :-

- प्रभारी जी.एफ. यूनिट—अनुबन्ध (प्रति संलग्न) अनुसार कार्य पूर्ण कराकर अनुपालना रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत करें।
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी
- प्रभारी भण्डार इकाई
- वित्त एवं लेखा इकाई
- व्य. सहायक / निदेशक
- प्रभारी प्रसार इकाई— कृपया केन्द्र की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
- डॉ. एस.के.घोरई, प्रधान वैज्ञानिक व सतर्कता अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी/Administrative Officer
Phone : +91-151-2230183, 2230858 (O), Fax: +91-151-2970153,
e-mail: nrccamel@nic.in, website : www.nrccamel.icar.gov.in
राष्ट्रीय उष्टु अनुसंधान केन्द्र
National Research Centre on Camel
बीकानेर/ Bikaner



राजस्थान RAJASTHAN



हिस्सा पद्धति पर आधारित सरसों फसल खेती हेतु अनुबन्ध

02 NOV 2022 का श्री मोहन राम, पुत्र गुड़ी देवी, वार्ड न. 06, राईका बास, गाढ़वाला, बीकानेर - 334001 (इसे ऐजेंसी पढ़ा जाए) एवं निदेशक, राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बीकानेर (इसे केन्द्र बीकानेर-जूरा) के मध्य हुआ।

(राजस्थान) द्वारा केन्द्र की भूमि पर पर सरसों फसल की हिस्सा पद्धति आधारित खेती हेतु श्री मोहन राम, पुत्र गुड़ी देवी, वार्ड न. 06, राईका बास, गाढ़वाला, बीकानेर से निम्न शर्तों पर अनुबन्ध का निर्णय लिया है।

अब केन्द्र तथा श्री मोहन राम, पुत्र गुड़ी देवी, वार्ड न. 06, राईका बास, गाढ़वाला, बीकानेर के मध्य निम्नानुसार सहमति/एग्रीमेन्ट हुआ:-

1. हिस्सा पद्धति पर सरसों फसल हेतु केंद्र द्वारा उक्त भूमि दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें फर्म/एजेंसी द्वारा केंद्र को सरसों फसल का पूरा (शात-प्रतिशत), चारा देना होगा। दाने में से 30.5% हिस्सा केंद्र का होगा व 69.5% हिस्सा एजेंसी का होगा।
2. सरसों फसल के लिए फर्म/एजेंसी को केंद्र द्वारा केवल भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी, भूमि के अलावा केंद्र में उच्च खाद उपलब्धता के अधीक्षण पर निशुल्क दी जायेगी। 2-3 पानी उपलब्धता के आधार एवं, life saving irrigation के आधार पर दिये जा सकते हैं। सिंचाई के लिए केन्द्र बाध्य नहीं होगा।
3. सरसों फसल के टेक्टर से जमीन तैयार करना, बीज, बिजाई कार्य, फर्टीलाइजर, फसल को बीमारियों से बचाने के लिए दवाई (पेस्टीसाइड), फसलों से खरपतवार निकालना, पकने पर फसल की कटाई करना, इकड़ा करना, थेसर से चारा दाना अलग करना, आवारा जानवरों व जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा करना, थ्रेसिंग के उपरांत केंद्र के हिस्से का चारा-दाना गोदाम तक पहुँचाना, उक्त सभी कार्य फार्म को अपने स्तर पर स्वयं के साधनों से ही पूर्ण करने होंगे।
4. बिन्दू संख्या 3 के सभी कार्य उपरांत फसल का दाना-चारा, केंद्र निदेशक द्वारा गठित समिति के समक्ष तुलवाकर केंद्र के हिस्से का दाना चारा भंडार तक एजेंसी को अपने स्तर पर स्वयं के साधनों से पहुँचाना होगा।
5. सरसों फसल के क्षेत्रफल में कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्रफल अनुसंधान कार्यों के लिये आरक्षित रखा जायेगा जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी फर्म की होगी।
6. यहाँ टेका अनुबन्ध आगामी 1 वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबन्ध 1 वर्ष तक ओर बढ़ाया जा सकता है।
7. एजेंसी/ टेकेदार द्वारा मशीन अथवा उनके व्यक्तियों द्वारा केंद्र की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति को कोई क्षति होने पर अविलम्ब क्षतिपूर्ति एजेंसी को करनी होगी अथवा उनकी धरोहर राशि में काटी जायेगी।
8. समस्त कार्य टेके की अवधी में संतोषजनक होना आवश्यक होगा तथा इस बाबत केंद्र के सक्षम अधिकारी व प्रभारी कृषि वानिकी के दिशानिर्देश मानने होंगे। किसी भी प्रकार की लापवाही पर एजेंसी की जमा धरोहर राशि जम कर ली जायेगी तथा उक्त तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा जो की एजेंसी को मान्य होगा।



ATTESTED
2 NOV 2021
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.) India
03 NOV 2021

मोहन राम


मुद्राक विक्री-लोलत कुमार शर्मा, बाकानर भनुजा पृष्ठ 43/12/000/प्र
 जिस्टर क्रम 684 दिनांक 03/11/2012 मुद्राक वेत्यू व इन
 लोक क्रेता द्वा द्वा
 द्वा
 जन 03/11/2012
 क्रय की दिया हे द्वात का नाम द्वा
 क्रय के दस्तावेज
 मो । १८१२३



मोहन । १८१२३
 गाँधी वन्द्य पर
 अन्वय

मुद्राक विक्री-लोलत
 08-11-22

राजस्थान स्टाम्प लाइसेंस 1998 के अन्वर्गत स्टाम्प लोगों द्वारा उपयोग की जाती है।	
1. आयास्तुत अवास्तविका सुनिष्ठाओं द्वारा (घारा 3-क)- 10% रखाये।	2. गाय और उसकी नरसं के संक्षण और संबद्धन हेतु (घारा 3-ख)- 20% रखाये।
कुल योग	800/-
लालिता दर्मा	800/-
ला. न.-43/2010	हस्ताक्षर स्टाम्प लेफ्टर



10. जहाँ पर फैसिंग कमजोर है, उन जगहों पर बाड़/काटे लगाकर आवारा पशुओं से फसल को सुरक्षित करना फर्म की अनुबन्ध की दिनांक 07-11-2024
11. फर्म को फसल की बुवाई फैसिंग से 20 फिट छोड़कर करनी होगी। जिससे सुरक्षा के लिए गश्त करने में आसानी रहेगी।
12. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की श्रमिक दुर्घटना व अन्य दुर्घटना होने पर एजेंसी अथवा उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेवार होंगे। सभी प्रकार की कार्यवाही उन्हें स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। केंद्र द्वारा किसी प्रकार की सहायता या सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।
13. अनुबन्ध के अंतर्गत फर्म द्वारा लगाए जाने वाले श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा पारिश्रमिक व अन्य श्रमिक नियमों की अनुपालना संबंधित एजेंसी को स्वयं के स्तर पर करनी होगी। केंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
14. हिस्सा पद्धति के अंतर्गत इस खेत की अनुबन्ध में संबंधित ठेकेदार/फर्म को यदि कोई नुकसान पहुँचता है तो उसके लिए वहा स्वयं उतरदायी होगा व केंद्र किसी प्रकार से भरपाई नहीं करेगा।
15. अनुबन्ध के अंतर्गत उपरोक्त इंगित कार्य संतोषजनक ढंग से तथा समय पर पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा तथा कार्य असंतोषजनक या अधुरा रहने पर अनुबन्ध निरस्त करने, धरोहर राशि जम करने सहित अन्य कार्यवाही हेतु केंद्र स्वतंत्र होगा।
16. सक्षम अधिकारी के पास फसल का क्षेत्रफल कम या अधिक करने, ठेके की अवधि घटाने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. किसी प्रकार के विवाद पर आरबीट्रेटर केंद्र के मुख्यालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा आरबीट्रेटर द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मानी होगा।

भी ४ ना२१५

हस्ताक्षर एजेंसी मय मोहर

उक्त हस्ताक्षर निम्नलिखित के समक्ष किए गए :

मोबाइल संख्या 7240319208

1.
2.



हस्ताक्षर
निदेशक, रा.उ.अ.के., बीकानेर

निदेशक
शास्त्रीय उष्ण अनुसंधान केन्द्र
जोड़बीड़, बीकानेर

ATTESTED
3 NOV 2022
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.) India
03 NOV 2022